महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण-11/2/2025-26/ No.Au/Trg/11-2/2025-26/ दिनांक: 13 नवंबर 2025

Date: 13 November 2025

अनुभागीय आदेश सं. 270/ SECTIONAL ORDER NO. 270

महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) के इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को आरसीबी और केआई चेन्नई में 25.11.2025 से 28.11.2025 तक आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम 'सीएमआई द्वारा एफएलवाई प्रोफेशनल' के लिए नामित किया गया है।

The following officers/officials of this Office of the Accountant General (Audit I) has been nominated for the training programme 'FLY Professional by CMI' scheduled to be conducted from 25.11.2025 to 28.11.2025 at RCB&KI Chennai.

Sl. No	Name & Designation (Smt./Shri)	Designation	Section
1.	Shivendra Pratap Singh	AAO	AMG I
2.	Kailash	AAO	Br. Thrissur
3.	Abhilash Babu K	AAO	Report (Civil)

प्रतिभागी अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तिथि पर 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days on date of completion of 3 months from the last day of Training.

संबंधित मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण के संबंध में पहले ही सूचित कर दिया जाए।

Headquarters concerned may ensure that the nominated officials are informed regarding the training in advance.

(महालेखाकार के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.ले.प.अ./प्रशा., रोकड, हक्र .ले.प)-I)/(ले.पII)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए